रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052024-254274 CG-DL-E-21052024-254274

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946
No. 356]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

# पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2024

नं.एनईआईजीआर-ई.III/5/2022 /पीटी-I.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में निम्न ग्रुप ए, ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

क्षेत्रीय कैंसर केन	द्र हेतु सृजित पदों के लिए आर.आर.एस
क्रम सं	पदों के नाम
1	मैकेनिक (एयर कंडीशर्निंग और रेफ्रिजरेशन)
2	तकनीशियन (ओटी)
3	तकनीकी सहायक (ओटी)
4	तकनीशियन एंडोस्कोपी / कोलोनोस्कोपी
5	तकनीशियन (परमाणु चिकित्सा)
इंजीनियरिंग अ	नुभाग हेतु आरआरएस
1	अधीक्षण अभियंता

3081 GI/2024 (1)

2	कार्यकारी अभियंता (सिविल)		
3	सहायक अभियंता (सिविल)		
4	सहायक अभियंता (विद्युत)		
5	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)		
6	कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)		
7	वरिष्ठ बायो-मेडिकल अभियंता		
8	बायो-मेडिकल अभियंता		
9	वायरमैन		
स्टोर एवं खरीद अ	मनुभाग हेतु आरआर		
1	वरिष्ठ भंडार अधिकारी		
लेखा प्रभाग हेतु ३	भारआरएस		
1	उप वित्तीय सलाहकार		
2	लेखा अधिकारी		
3	लेखा सहायक (तत्कालीन कैशियर)		
प्रशासनिक प्रभाग	हेतु आरआर		
1	प्रशासनिक अधिकारी		
2	सहायक प्रशासनिक अधिकारी		
3	कार्यालय अधीक्षक		
4	अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी)		
सीएसएसडी अनुः	माग हेतु आरआरएस		
1	सीएसएसडी अधिकारी		
2	सीएसएसडी सहायक ग्रेड - I		
3	सीएसएसडी सहायक ग्रेड – II		
भौतिक चिकित्सव	भौतिक चिकित्सक केडर  हेतु आरआरएस		
1	अधीक्षक भौतिक चिकित्सक (तत्कालीन प्रधान चिकित्सक)		
2	भौतिक चिकित्सक		
व्यावसायिक थेरे	पेस्ट केड़र हेतु आरआरएस		
1	वरिष्ठ व्यावसायिक थेरेपिस्ट		
2	व्यावसायिक थेरेपिस्ट		

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ग्रुप ए, बी एवं सी पदों के लिए भर्ती संशोधन नियम, 2023 है।
  - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता** वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. **शिथिल करने की शक्ति** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
			मैद्रिक्स में	चयनित पद	_
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
मैकेनिक (एयर	01* (2023)	ग्रुप 'सी'	वेतन	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी
कंडीशनिंग और	*कार्यभार पर		मैट्रिक्स		चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी
रेफ्रिजरेशन)	निर्भर भिन्नता के		का स्तर-		निर्देशों या आदेशों के अनुसार
	अधीन		02		सरकारी कर्मचारियों के लिए 5
					वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:  1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष।  2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशर्निंग में न्यूनतम 12 महीने का डिप्लोमा या आईटी आई प्रमाणपत्र अथवा किसी प्रतिष्ठित	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

कंपनी या एयर कंडीशनिंग और		
रेफ्रिजरेशन इंजीनियरों के संगठन में		
दो साल की प्रशिक्षुता प्राप्त किया हो।		
3. रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग		
की स्थापना और रखरखाव में 1 (एक)		
वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति उसकी संरचना क्या है?	मौजूद है तो	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12		13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,</li> <li>(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> </ol>	– अध्यक्ष - सदस्य -सदस्य	लागू नहीं
	<ol> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य</li> <li>(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	- सदस्य* – सदस्य	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीशियन (ओटी)	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति: लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
i. मानव विज्ञान/जीवन विज्ञान/चिकित्सा प्रौद्योगिकी ऑपरेशन थिएटर पाठ्यक्रम या समकक्ष में बीएससी	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा। उपरोक्त दोनों न हो पाने की स्थिति पर सीधी भर्ती द्वारा।

ii.	संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव		
	अथवा		
i.	(थिएटर टेक्नोलॉजी) में बीएससी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में प्रशिक्षण सहित उसके समकक्ष में		
	कोई डिग्री हासिल की हो।		
ii.	संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव।		
	अथवा		
I.	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ 10+2 और थिएटर टेक्नोलॉजी में दो साल का डिप्लोमा।		
II.	किसी प्रतिष्ठित संस्थान में ओटी, आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में तकनीशियन के रूप में 3 वर्ष का अनुभव।		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नितः वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में तकनीकी सहायक (ओटी) और ग्रेड में 6 साल की नियमित सेवा प्रदान की हो। प्रितिनयुक्ति (आईएसटीसी): केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:  क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना: या 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 या समकक्ष	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं

में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 06 वर्ष की सेवा के साथ और	9	
ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए।		
टिप्पणी:		
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	ार्ष से ाहिए। ो) पर म आयु ने की	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			मैद्रिक्स में	चयनित पद	सीमा
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
तकनीकी सहायक (ओटी)	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 05	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति: लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छुट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
मानव विज्ञान/जीवन विज्ञान/चिकित्सा प्रौद्योगिकी ऑपरेशन थिएटर कोर्स में बीएससी या समकक्ष या बीएससी (थिएटर टेक्नोलॉजी) या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से	नहीं	सीधी भर्ती व पदोन्नति पाने वाला के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।

आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में प्रशिक्षण सहित समकक्ष।		
या		
<ul> <li>ि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/</li> <li>विश्वविद्यालय से विज्ञान के साथ</li> <li>10+2 और थिएटर टेक्नोलॉजी में दो</li> <li>साल का डिप्लोमा</li> </ul>		
<ul> <li>किसी प्रतिष्ठित संस्थान में ओटी, आईसीयू, मैनिफोल्ड रूम और सीएसएसडी में तकनीशियन के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव।</li> </ul>		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 में ओटी सहायक ग्रेड II, ग्रेड में 13 साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	पद 5	6
तकनीशियन एंडोस्कोपी / कोलोनोस्कोपी	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
l. विज्ञान विषय के साथ	नहीं	सीधी भर्ती के लिए	सीधी भर्ती द्वारा।
10+2 पास किया हो।		2 वर्ष	
II. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/			
विश्वविद्यालय से एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी में बीएससी/डिप्लोमा।			
ा।. संबंधित (एंडोस्कोपी/कोलोनो-			
स्कोपी) क्षेत्र में अस्पताल में 3 वर्ष			
का अनुभव प्राप्त किया हो।			

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो	भर्ती करने के दौरान
आमेलन द्वारा भर्ती के मामले	उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में
में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/		संघ लोक सेवा आयोग
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया		से परामर्श किया
जाना है		जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
	2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	
	- सदस्य	
	3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	
	सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
	4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
	5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित	
	सदस्य – सदस्य	
	6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			में स्तर	चयनित पद	सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीशियन (परमाणु चिकित्सा)	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
i. किसी भी विषय में बी.एससी ii. एमएससी (नाभिकीय औषधि) iii. विकिरण सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र या i. किसी भी विषय में बी.एससी ii मेडिकल रेडिएशन और आइसोटोप तकनीक में डिप्लोमा (डीएमआरआईटी) पाठ्यक्रम या समकक्ष iii. विकिरण सुरक्षा अधिकारी प्रमाणपत्र	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अधीक्षण अभियंता	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 13	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नतिः वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 में कार्यकारी अभियंता (सिविल)/कार्यकारी अभियंता (इलेक्ट्रिकल) और ग्रेड में 10 (दस) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो। प्रितिनयुक्तिः केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त संगठन/वैधानिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारीः क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य</li> <li>(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12/11 या	
समकक्ष में नियमित आधार पर	
नियुक्ति के बाद प्रदान की गई	
साथ और	
ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/इलेक्ट्रिकल	
इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।	
टिप्पणी:	
प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की स्थिति में नियुक्ति के लिए	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यकारी अभियंता (सिविल)	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती लागू नहीं	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में	नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	समग्र विधि द्वारा (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति) अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

स्नातक की डिग्री के साथ		
प्लेनिंग डिजाइनिंग और		
निर्माण कार्य में 07 वर्ष का		
व्यावहारिक अनुभव प्राप्त		
किया हो।		

		भर्ती करने के दौरान किन
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद भर्ती करने के दौरा है तो उसकी संरचना क्या है? परिस्थितियों में संघ सेवा आयोग से पर किया जाना है	
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति  केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,</li> <li>सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> </ol>	लागू नहीं
क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या	<ol> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य</li> </ol>	
2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान करना।	– सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	
3. मूल संवर्ग/विभाग में पर्यवेक्षी क्षमता में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 09 वर्ष की सेवा के साथ और		
ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए		
टिप्पणी:		
ग्रेड में 09 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में विभागीय सहायक		

अभियंता (सिविल) को भी	
प्रतिनियुक्ति के साथ माना	
जाएगा और यदि उसका चयन	
किया जाता है तो पद को	
पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना	
जाएगा।	
प्रतिनियुक्ति की अवधि	
(आईएसटीसी) सामान्यतः 5	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
सीमा आवेदन प्राप्त होने की	
अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			में स्तर	चयनित पद	सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक अभियंता (सिविल)	01* (2023) *कार्यभार पर  निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 7	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के साथ प्लेनिंग डिजाइनिंग और निर्माण कार्य में 03 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	समग्र विधि द्वारा (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति) अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
आमेलन किया जाना है		
11	12	13
प्रितिनयुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्निति  केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:  क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या  2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 06 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान करना।	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)- सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं
और		
ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए		
टिप्पणी:प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 में विभागीय उम्मीदवार (जूनियर इंजीनियर (सिविल)) को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है; इसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक अभियंता (विद्युत)	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 7	पदोन्नति: चयन सीधी भर्ती लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं		क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7		8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनिय स्नातक डिग्री के साथ 3 स व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया ह	रिंग में ाल का			पदोन्नति द्वारा, ऐसा न करने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा, न करने पर सीधी भर्ती द्वारा।
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है		ाई चयन समिति/विभागीय प्र सकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	
11		12	13	
पदोन्नितः वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 में जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) और ग्रेड में 05 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:	2. अ - 3. उ ( 4. सं 5. अ स 6. उ	प निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्न वर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग सदस्य त्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शि अवर सचिव के पद से नीचे क बंधित विषय के विशेषज्ञ नुसूचित जाति/अनुसूचित जन दस्य प निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्न शक, नीग्रिम्स द्वारा नामित वि	लागू नहीं	
क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या				

2 - 22 - 2 2	
2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन	
मैट्रिक्स के स्तर 6 या समकक्ष	
में नियमित आधार पर नियुक्ति	
के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05	
वर्ष की सेवा प्रदान करना	
और	
ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित	
शैक्षणिक योग्यता और अनुभव	
होना चाहिए	
टिप्पणी:	
प्रतिनियुक्ति की अवधि	
(आईएसटीसी) सामान्यतः 5	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
सीमा आवेदन प्राप्त होने की	
अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 6	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। अथवा	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।
किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा प्राप्त किया हो।			

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित</li> </ol>	लागू नहीं
	सदस्य – सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 6	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रिकल/एलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/संस्थान से इलैक्ट्रिकल/एलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ बायो- मेडिकल अभियंता	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	लागू नहीं	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
1. बी.टेक/बी.ई. किसी	नहीं	सीधी भर्ती	समग्र विधि: (प्रतिनियुक्ति
मान्यता प्राप्त		लिए दो वर्ष	(अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी)
विश्वविद्यालय से			सहित)/पदोन्नति, अन्यथा सीधी भर्ती
इलेक्ट्रॉनिक्स में या			

बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।		द्वारा।
2. चिकित्सा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव में चिकित्सा संस्थान में संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
आमेलन किया जाना है		,
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)/पदोन्नति:	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक	- सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, -सदस्य	
क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)  4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या	<ul><li>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य</li><li>6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव</li></ul>	
2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा प्रदान करना तथा	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	
ख) कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव होना चाहिए		
टिप्पणी:		
विभागीय बायो-मेडिकल इंजीनियर जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 के ग्रेड में 5 साल की		

नियमित सेवा प्रदान कर चुके हो, उन्हें भी प्रतिनियुक्ति के साथ माना जाएगा और यदि उसका चयन किया जाता है तो पद को	
पदोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा।	
प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं	
होगी।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
बायो-मेडिकल अभियंता	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
1 बी.टेक/बी.ई. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में या बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। 2 चिकित्सा उपकरणों की स्थापना और रखरखाव में चिकित्सा संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

20.000.		m , , , ,
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है	
द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड	तो उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में संघ
जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/	, and the second	लोक सेवा आयोग से
आमेलन किया जाना है		परामर्श किया जाना है
		`
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स –	लागू नहीं
	अध्यक्ष	
	2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	
	-	
	सदस्य	
	3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	
	-सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
	4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ -	
	सदस्य*	
	5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित	
	सदस्य –	
	सदस्य	
	6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य	
	सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वायरमैन	05* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 02	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा अवधि, यदि	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति
और अन्य योग्यताएं	लिए निर्धारित आयु	कोई हो	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन
	और शैक्षणिक		द्वारा भर्ती की पद्धति और
	योग्यता पदोन्नति के		विभिन्न तरीकों से भरी जाने
	मामले में लागू होगी		वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:	नहीं	सीधी भर्ती लिए दो	सीधी भर्ती द्वारा।
1. किसी मान्यता प्राप्त		वर्ष	
विश्वविद्यालय/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन			
या समकक्ष।			
2. दो साल के फील्ड अनुभव के साथ			
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में डिप्लोमा या			

आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।		
<ol> <li>सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विद्युत पर्यवेक्षी सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो।</li> </ol>		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
आमेलन किया जाना है		से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ भंडार अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	समग्र विधि (प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/पदोन्नति) द्वारा:

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध (आईएसटीसी) सहित)/पदोन्नितिः केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारीः:  क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदों पर कार्य करना; या  2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा प्रदान करना और  ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:  i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की डिग्री;  ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समकक्ष; और  iii. भंडार, विशेषकर चिकित्सा संबंधी के पर्यवेक्षण क्षमता में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।  टिप्पणी:  प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अविध सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	लागू नहीं

लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	म	
यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 में विभागीय उम्मीदवार स्टोर अधिकारी को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है: तो इसे	0 र के	
ालए चुना जाता हः ता इस पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
उप वित्तीय सलाहकार	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 12 (मूल वेतनमान पे मैट्रिक्स का लेवल-13 है और वेतनमान जुलाई 2024 तक लेवल-12 पर डाउनग्रेड कर दिया गया है)	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा अवधि, यदि	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	निर्धारित आयु और	कोई हो	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन
	शैक्षणिक योग्यता		द्वारा भर्ती की पद्धति और
	पदोन्नति के मामले में		विभिन्न तरीकों से भरी जाने
	लागू होगी		वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया		आयोग से परामर्श किया जाना है
जाना है		
11	12	13
प्रतिनियुक्तिः केंद्र/राज्य सरकार द्वारा आयोजित वित्त/लेखा सेवाओं या अधीनस्थ वित्त/लेखा सेवाओं में से किसी के अधिकारी या केंद्रीय वैधानिक/स्वायत्त निकाय/ सार्वजनिक	<ol> <li>एएस एवं एफए - अध्यक्ष</li> <li>संबंधित संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</li> <li>निदेशक, नीग्रिम्स - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं
क्षेत्र उपक्रम के वित्त/ लेखा विभागों के अधिकारी:		

क)

नोट: यदि उक्त पद का वेतन स्तर 13 पर बहाल किया जाता है तो उप वित्तीय सलाहकार के ये भर्ती नियम जुलाई, 2024 तक वैध हैं। यदि पद को वेतन स्तर - 12 पर डाउनग्रेड रखा जाता है तो ये भर्ती नियम जारी रहेंगे।

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
लेखा अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

आधार पर अनुरूप पदों पर कार्य करना; या  2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या  3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित
2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या  3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	आधार पर अनुरूप पदों पर कार्य
के लेवल-11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या  3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	करना; या
के लेवल-11 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या  3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स
गई ग्रेड में 5 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या  3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	के लेवल-11 या समकक्ष में नियमित
लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या  3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की
लेखा में कम से कम 3 साल का अनुभव या  3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	G .
3. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि का साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	या
लेवल 10 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	   3. मल कैडर/विभाग में पे मैटिक्स के
आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	*,
गई ग्रेड में 10 साल की सेवा, जिसमें लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि को साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
लेखा में कम से कम 5 साल का अनुभव प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	_
प्राप्त किया हो।  टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
टिप्पणी:  केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	*
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध के साथ प्रतिनियुक्ति की अविध आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अविध प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध के साथ प्रतिनियुक्ति की अविध आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अविध प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
पर प्रतिनियुक्ति की अवधि के साथ प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	<u> </u>
प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	_
वर्ष के लिए होगी, जिसे अधिकारी के कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
कार्य निष्पादन क्षमता के समीक्षा के आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	· ·
आधार पर अधिक से अधिक पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
तक बढ़ाया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
	-
अधिक नहीं होगी।	
	अधिक नहीं होगी।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो।  2. केंद्र सरकार / राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों / स्वायत्त संगठनों / वैधानिक निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत पे मैट्रिक्स के 8 में किसी कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी या समकक्ष के रूप में लेखांकन में 4 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो या  3. केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत किसी कार्यालय में पे मैट्रिक्स के 7 में सहायक लेखा अधिकारी या समकक्ष के रूप में लेखांकन में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) और असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
4. अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।			

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है	भर्ती करने के दौरान
आमेलन द्वारा भर्ती के मामले	तो उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में
में, वे ग्रेड जिनसे		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/		है
आमेलन किया जाना है		V
11	12	13
पदोन्नति: संस्थान के सहायक	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
लेखा अधिकारी जो वेतन	2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	
मैट्रिक्स के स्तर -7 में 5 साल	- सदस्य	
की नियमित सेवा और	3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	

आईएसटीएम में नकद और लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

प्रतिनियुक्तिः केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:

- क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या
- 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 8 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 4 साल की सेवा प्रदान की हो

गा

3. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा प्रदान की हो और ख) अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

#### टिप्पणी:

केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सदस्य

(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)

- 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य\*
- 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य
- 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स सदस्य सचिव (\*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
लेखा सहायक	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 4	लागू नहीं	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	लागू नहीं	2 (दो) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
	2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	
	- सदस्य	
	3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	
	सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
	4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
	5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित	
	सदस्य – सदस्य	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
प्रशासनिक अधिकारी	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	पदोन्नति के मामले में चयन	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:  I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री।  II. वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 या समकक्ष में पांच साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।  III. किसी अस्पताल/चिकित्सा संस्थान में स्थापना और प्रशासनिक कार्य में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा और ऐसा न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है	भर्ती करने के दौरान किन
आमेलन द्वारा भर्ती के मामले	तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियों में संघ लोक
में, वे ग्रेड जिनसे		सेवा आयोग से परामर्श
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/		किया जाना है
आमेलन किया जाना है		
11	12	13
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
- 7 में संस्थान के सहायक	2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	
प्रशासनिक अधिकारी ने 5	- सदस्य	
(पाँच) वर्ष की नियमित सेवा	3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	
प्रदान की हो।	सदस्य	
प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	

प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:

- क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या
- 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 08 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 04 वर्ष की सेवा प्रदान करना या
- 3. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ
- ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना।

### टिप्पणी:

प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य
- 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स सदस्य सचिव

(\*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			में स्तर	चयनित पद	सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- <b>7</b>	पदोन्नति के मामले में चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी
	लागू हागा		जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना
आमेलन किया जाना है		है
11	12	13
पदोन्नति: संस्थान के कार्यालय अधीक्षक जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं
प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:	सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)  4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*  5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य  6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	
क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या		
2.मेडिकल संस्थान/कॉलेज से संबंधित केंद्र सरकार के नियम के अच्छे ज्ञान के साथ मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 06 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ		
ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित		

उचित योग्यता और अनुभव	
रहा हो।	
टिप्पणी:	
प्रतिनियुक्ति की अवधि	
(आईएसटीसी) सामान्यतः 5	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर	
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु	
सीमा आवेदन प्राप्त होने की	
अंतिम तिथि को 56 वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
अधिक नहीं होगी।	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यालय अधीक्षक	14* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 6	पदोन्नति के मामले में चयन	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:  I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।  II. केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त संगठनों/सांविधिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के तहत नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 या समकक्ष के तहत अपर डिवीजन क्लर्क या समकक्ष के रूप में 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया हो।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)। दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

वांछित:		
कंप्यूटर एप्लीकेशन में प्रवीणता प्राप्त की हो।		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है	भर्ती करने के दौरान
आमेलन द्वारा भर्ती के मामले	तो उसकी संरचना क्या है?	किन परिस्थितियों में
में, वे ग्रेड जिनसे		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना
पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/		स परामश किया जाना   है
आमेलन किया जाना है		e e
11	12	13
पदोन्नति: संस्थान के यूडीसी जो	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 में 10	2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	
साल की नियमित सेवा प्रदान	- सदस्य	
की हो।	3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	
प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार /	सदस्य	
राज्य सरकार / केंद्र शासित	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)  4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
प्रदेश / स्वायत्त संगठन /	4. सबाधत विषय के विशेषज्ञ - सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित	
वैधानिक निकाय / सार्वजनिक	<ul><li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स सहयाजित</li><li>सदस्य</li><li>मदस्य</li></ul>	
क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय	- तप्त्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – सदस्य सचिव	
/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	
संस्थान के अधिकारी:		
क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में		
नियमित आधार पर अनुरूप		
पद धारण करना; या		
2. मूल कैडर/विभाग में वेतन		
मैट्रिक्स के लेवल-4 या समकक्ष		
में नियमित आधार पर नियुक्ति		
के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 10		
साल की सेवा के साथ		
ख) कॉलम 7 में उल्लिखित		
सीधी भर्ती के लिए निर्धारित		
उचित योग्यता और अनुभव		
रहा हो।		
टिप्पणी:		
प्रतिनियुक्ति की अवधि		
(आईएसटीसी) सामान्यतः 5		
वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर		
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु		
सीमा आवेदन प्राप्त होने की		
अंतिम तिथि को 56 वर्ष से		
अधिक नहीं होगी।		
<u> </u>		l

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी)	21* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 4	पदोन्नति के मामले में गैर चयन	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:    I. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।   II. कंप्यूटर एप्लीकेशन में दक्ष हो।   III. कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द टाइपिंग की गित हो।   (नोट: 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन में 10,500 केडीपीएच के अनुरूप है)।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)। दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
1	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> </ol>	लागू नहीं

प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:

- क) 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या
- 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 8 साल की सेवा के साथ या
- ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उचित योग्यता और अनुभव होना।

## टिप्पणी:

केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदर
- 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य (\*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी अधिकारी	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 7	में चयन। सीधी	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:  1. एम.एससी माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी (माइक्रोबायोलॉजी) की डिग्री प्राप्त की हो।  2. किसी अस्पताल/अनुसंधान संगठन या किसी फार्मास्युटिकल संगठन में सेंट्रल स्टरलाइज़ेशन (सीएसएसडी) या ऑपरेशन थिएटर में 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी)। दोनों स्थिति के विफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
पदोन्नतिः सीएसएसडी पर्यवेक्षक जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के ।लेवल - 6 ग्रेड में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो। प्रतिनियुक्तिः केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारीः  1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या  2. सीएसएसडी पर्यवेक्षक,	1. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष 2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य 3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	नहीं

	T
वेतन मैट्रिक्स के लेवल 06 या	
समकक्ष में नियमित आधार पर	
नियुक्ति के बाद 05 वर्ष की	
सेवा प्रदान की हो।	
टिप्पणी:	
केंद्र सरकार के उसी या अन्य	
संगठन या विभाग में इस	
नियुक्ति से ठीक पहले धारित	
किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर	
प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित	
प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर	
पर 05 वर्ष से अधिक नहीं	
होगी। प्रतिनियुक्ति	
(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के	
लिए अधिकतम आयु सीमा	
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम	
तिथि को 56 वर्ष से अधिक	
नहीं होगी।	
161 61.111	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी सहायक ग्रेड - I	04* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 4	पदोन्नति के मामले में गैर चयनित। सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं।	द्वारा जारी निर्देशों या

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:  किसी अस्पताल के सीएसएसडी या अस्पताल में फार्मास्युटिकल या ऑपरेशन थिएटर में 1 वर्ष का अनुभव के साथ बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या फार्माकोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी (माइक्रोबायोलॉजी) की	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

डिग्री प्राप्त की हो।		
या		
<ol> <li>नर्सिंग ऑफिसर जिन्होने ऑपरेशन थिएटर/सीएसएसडी में 1 वर्ष के अनुभव प्राप्त किया हो।</li> </ol>		
<ul><li>II. भारतीय नर्सिंग परिषद/राज्य नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</li></ul>		
या		
थिएटर असिस्टेंट कोर्स / सीएसएसडी डिप्लोमा कोर्स के साथ सीएसएसडी / ऑपरेशन थिएटर में 2 साल का अनुभव प्राप्त किया हो		
या		
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास किया हो और किसी भी अस्पताल में सीएसएसडी ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक में 3 साल का कार्य अनुभव रहा हो।		

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नित: सीएसएसडी सहायक ग्रेड- II, जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के लेवल 2 के ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा के प्रदान की हो।	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सीएसएसडी सहायक ग्रेड – II	05* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'सी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 2	लागू नहीं।	आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक: थिएटर असिस्टेंट कोर्स/सीएसएसडी डिप्लोमा कोर्स के साथ सीएसएसडी/ऑपरेशन थिएटर में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास की हो और किसी भी अस्पताल में सीएसएसडी ऑपरेशन थिएटर और ब्लड बैंक में 1 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 (दो) वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
आमेलन किया जाना है		Ų.
11	12	13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)         <ul> <li>सदस्य</li> </ul> </li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,</li></ol>	लागू नहीं

4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ	- सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से		
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना	है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
अधीक्षक भौतिक चिकित्सक	01* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 11	पदोन्नति के मामले में चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
आमेलन किया जाना है		किया जाना है
11	12	13
पदोन्नति: फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होने पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में 12 (बारह) साल की नियमित सेवा प्रदान की हो।	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
भौतिक चिकित्सक	07* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में डिग्री प्राप्त की हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा
या			
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा के साथ अस्पताल में 3 साल का कार्य अनुभव रहा हो।			

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)</li></ol>	लागू नहीं

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ व्यावसायिक थेरेपिस्ट	01* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 10	पदोन्नति के मामले में चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
लागू नहीं	नहीं	पदोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	लागू नहीं

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
पदोन्नित: व्यावसायिक चिकित्सक जिन्होने पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में और ग्रेड में 10 (दस) वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो।	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,</li> </ol>	लागू नहीं
	सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं) 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है) 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स — सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
व्यावसायिक थेरेपिस्ट	02* (2024) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर- 06	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु में छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
आवश्यक:  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक चिकित्सा में डिग्री प्राप्त की हो  या  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यावसायिक थेरेपी में डिप्लोमा के साथ अस्पताल में 3 साल का कार्य अनुभव रहा हो।	नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं	<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स – अध्यक्ष</li> <li>अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर) - सदस्य</li> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> <li>संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*</li> <li>अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	लागू नहीं

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक, नीग्रिम्स

# NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES, SHILLONG

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2024

**No. NEIGR-E.III/5/2022/Pt-I.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, to the following Group A, B & 'C' posts namely:-

Sl. No.	created for Regional Cancer Centre
51. NO.	Name of post
1	Mechanic (Air Conditioning & Refrigeration)
2	Technician (OT)
3	Technical Assistant (OT)
4	Technician Endoscopy / Colonoscopy
5	Technician (Nuclear Medicine)
RRs for Engin	
1	Superintending Engineer
2	Executive Engineer (Civil)
3	Assistant Engineer (Civil)
4	Assistant Engineer (Electrical)
5	Junior Engineer (Civil)
6	Junior Engineer (Electrical)
7	Senior Bio-Medical Engineer
8	Bio-Medical Engineer
9	Wireman
RR for Store &	& Procurement Section
1	Senior Stores Officer
RRs for Accou	ints Division
1	Deputy Financial Adviser
2	Accounts Officer
3	Accounting Assistant (erstwhile Cashier)
RRs for Admir	nistrative Division
1	Administrative Officer
2	Assistant Administrative Officer
3	Office Superintendent
4	Upper Division Clerk (UDC)
RRs for CSSD	Section
1	CSSD Officer
2	CSSD Assistant Grade – I
3	CSSD Assistant Grade – II

RRs for Physic	RRs for Physiotherapist Cadre				
1	Superintendent Physiotherapist (erstwhile Chief Physiotherapist)				
2	Physiotherapist				
RRs for Occup	RRs for Occupational Therapist Cadre				
1	Senior Occupational Therapist				
2	Occupational Therapist				

- Short title and commencement (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group – A & B posts Recruitment amendment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in Pay Matrix The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification** No person,
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:
    - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule
- 5. **Power to Relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- 6. Saving Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Mechanic (Air Conditioning & Refrigeration)	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 02 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of  vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<ol> <li>Essential:         <ol> <li>Matriculation or equivalent from a recognized Board.</li> <li>Diploma or ITI Certificate in Refrigeration &amp; Air Conditioning from a recognized Institute/polytechnic of a minimum of 12 months. OR Two years' apprenticeship in a reputed firm or organization of Air Conditioning and Refrigeration Engineers.</li> </ol> </li> <li>1 (one) year experience in installation and maintenance of Refrigeration and Air Conditioning.</li> </ol>	No	Two years for direct recruit	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	1. Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
	2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
	3. Representative of North Eastern Council (NEC),	
	Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member	
	4. An expert in the relevant subject - Member*	
	5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Technician (OT)	2* (2023)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Promotion: Selection  Direct Recruitment / Deputation: Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
i. B.Sc. in Human Science / Life Science / Medical Technology Operation Theatre Course or equivalent	No	Two years for direct recruit and promotees	By promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment
ii. 2 years' experience in the concerned field			
OR			
i. B.Sc. (Theatre Technology) or equivalent including training in ICU, Manifold Room and CSSD from a recognized Institution / University.			
ii. 2 years experience in the concerned field.			
OR			
i. 10+2 with Science and two years Diploma in Theatre Technology from a recognized Institution / University.			
ii. 3 year experience as Technician in OT, ICU, Manifold room and CSSD in a reputed Institution.			

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Deputation (ISTC): Officers of the Central Government / State Governments / Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory bodies / Public Sector Undertaking / University /	2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE)  Member	Not applicable

- basis in the parent cadre / department: or
- 2. With 06 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 5 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department and
- B. Possess educational qualification and experience prescribed under column 7

#### Note:

The period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

- A. 1. Holding analogous post on a regular 5. A Co-opted member from SCs/STs Member\*
  - 6. Deputy Director (Administration), **NEIGRIHMS** - Member Secretary

(\*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Technical Assistant (OT)	4* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 5 of Pay Matrix	Promotion: Selection Direct Recruitment: Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
B.Sc in Human Science / Life Science / Medical Technology Operation Theatre Course or Equivalent  OR	No	Two years for direct recruit and Promotees	By promotion failing which by direct recruitment
B.Sc. (Theatre Technology) or equivalent including training in ICU, Manifold Room and CSSD from a recognized Institution / University.			
OR			
i. 10+2 with Science and two years Diploma in Theatre Technology from a recognized Institution / University			
ii. Minimum 1 year experience as			

Technician in OT, ICU, room and CSSD in a institution.		
In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: OT Assistant Grade II in Level 2 of Pay Matrix with 13 years of regular service in the grade.	<ol> <li>Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC)         Shillong (not below the rank of Under Secretary - Member     </li> <li>An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>A co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</li> </ol>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Technician Endoscopy / Colonoscopy	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<ul> <li>i. 10+2 with Science.</li> <li>ii. B.Sc./Diploma in Endoscopy Technology from a recognized Institution / University</li> <li>iii. 3 years experience in Hospital in concerned (Endoscopy / Colonoscopy) field</li> </ul>	No	Two years for direct recruit	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
	2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
	(Not below the rank of Under Secretary) - Member	
	4. An expert in the relevant subject - Member*	
	5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
	6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Technician (Nuclear Medicine)	4* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<ul><li>i. B.Sc in any discipline</li><li>ii. M.Sc. (Nuclear Medicine)</li></ul>	No	Two years for direct recruit	By direct recruitment
iii. Radiation Safety Officer Certificate			
Or			
i. B.Sc in any discipline			
ii. Diploma in Medical Radiation and Isotope Techniques (DMRIT) Course or equivalent			
iii. Radiation Safety Officer Certificate			

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
	2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (Not below the rank of Under Secretary) - Member	
	4. An expert in the relevant subject - Member*	
	5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
	6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Superintending Engineer	*Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 13 of the Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	No	Not applicable	By promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in whi Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	ce
11	12	13	
(Civil)/Executive Engineer (Electrical) in Level-11 in the Pay Matrix with 10 (ten)	tor, NEIGRIHMS - Chairperson tor/Deputy Secretary looking after the work Institute in the Ministry –Member	Not applicable	
	esentative of North Eastern Council (NEC), ong (Not below the rank of Deputy Secretary)		

Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:

- **A.**1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or
- 2. with 5/10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 12/11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and
- **B.**Possessing the following educational qualification:

Bachelor Degree in Civil / Electrical Engineering from a recognized University

### Note:

The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

- Member
- 4. An expert in the relevant subject Member\*
- 5. A co-opted member from SCs/STsMember\*
- 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS Member Secretary

(\*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Executive Engineer (Civil)	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of Pay Matrix	Promotion: Selection Direct Recruitment Not Applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute with 07	No	Two years for direct recruit and promotees	By Composite Method (Deputation (ISTC) /Promotion) failing which by direct recruitment
years' practical experience in planning designing and construction work			

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
	Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
State Governments/ Union Territories/	<ol> <li>Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry – Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member</li> <li>An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>A co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary</li> <li>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</li> </ol>	Not applicable
The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Engineer (Civil)	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 7 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute with 3 years' practical experience in planning designing and construction work	No	Two years for Direct Recruit	Composite Method: Deputation (Including Short Term contract (ISTC))/Promotion) failing which by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))/Promotion: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:	<ol> <li>Director, NEIGRIHMS - Chairman</li> <li>Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (Not below the rank of Under Secretary) - Member</li> </ol>	Not applicable
<b>A.</b> 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or	<ul><li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li><li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li></ul>	
2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 06 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and	6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
<b>B.</b> Possess educational qualification and experience prescribed under column 7:		
Note:		
The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		
If the Departmental Candidate (Junior Engineer (Civil)) in Level – 6 of Pay Matrix with 05 years' of regular service is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.		

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Engineer (Electrical)	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 7 of Pay Matrix	Promotion: Selection Direct Recruitment: Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor Degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institute with 3 years' practical experience	No	Two years for direct recruit	By Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Junior Engineer (Electrical) in Level 6 in the Pay Matrix with 05 (five) years of regular service in the grade.	Director, NEIGRIHMS - Chairman     Under Secretary (NE)/Section Officer (NE)     Member	Not applicable
Deputation (ISTC):  Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:  A.1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or  2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 6 of the Pay Matrix or equivalent in the parent	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary) - Member  4. An expert in the relevant subject - Member*  5. A Co-opted member from SCs/STs -Member*  6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary  (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

cadre /department and	
<b>B.</b> Possess educational qualification and experience prescribed under column 7.	
Note:	
The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	

Name of the post	Number of po	ost	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2		3	4	5	6
Junior Engineer (Civil)	1* (20 *Subject variation dependent workload	to on	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Bachelor degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute  OR  Three years Diploma in Civil Engineering from a recognized Polytechnic/Institute.	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Director, NEIGRIHMS - Chairman     Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member     Representative of North Eastern Council (NEC),     Shillong, (Not below the rank of Under Secretary)-     Member	Not applicable

4. An expert in the relevant subject - Member*
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS- Member Secretary
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Junior Engineer (Electrical)	2* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Bachelor's Degree in Electrical Engineering or Electronics Engineering from a recognized University or Institute  OR  Three years Diploma in Electrical Engineering or Electronics Engineering, from a recognized Institute	No	Two years for direct recruits	By Direct Recruitment	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	

- 5. A Co-opted member from SCs/STs Member\*
- 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS Member Secretary

(\*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Bio- Medical Engineer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
1. B.Tech / B.E. in Electronics or Bachelor's Degree in Bio Medical Engineering from a recognized University  2. Five years' experience in a relevant field in a Medical Institute in installation and maintenance of medical equipment	No	Two years for direct recruits	Composite Method: (Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))/ Promotion failing which by Direct Recruitment	Deputation   (Including   Short   Term   Contract   (ISTC))/Promotion:

		prescribed under column 7
		Note:
		The Departmental Bio-Medical Engineer in level 10 of Pay Matrix with 5 years' of regular service in the Grade shall also be considered along with deputationist and in case he or she is selected the post shall be deemed to have been filled by promotion.
		The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary looking after the work	
of the Institute in the Ministry — Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC),	
Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	
1	2	2 3 4		5	6	
Bio-Medical Engineer	1* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)	

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
<ol> <li>B.Tech/B.E. in Electronics or Bachelor's Degree in Bio Medical Engineering from a recognized University.</li> <li>Three years' experience in a relevant field in a Medical Institute in installation and maintenance of medical equipment</li> </ol>	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
	2. Director/Deputy Secretary looking after	
	the work of the Institute in the Ministry - Member	
	3. Representative of North Eastern Council (NEC)	
	Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
	4. An expert in the relevant subject - Member*	
	5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
	6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Wireman	05* (2023)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 02 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods		
7	8	9	10		
Essential:  1. Matriculation or equivalent from a recognized University / Board.	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment		
2. Diploma or ITI Certificate in the Trade of Electrician with field experience of two years.					
3. Electrical Supervisory Certificate of competence issued by competent authority.					

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	<ol> <li>Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC)         Shillong (not below the rank of Under Secretary) - Member     </li> <li>An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</li> </ol>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Stores Officer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 11 of Pay Matrix	Not applicable	Not applicable

Method:   (Deputation (ISTC) / Promotion:   Promotion	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
Method:   (Deputation (ISTC) / Promotion)   Promotion	7	8	9	10	11
				By Composite Method: (Deputation (ISTC) / Promotion)	Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))/ Promotion:  Officers of the Central Govt. / State Government / Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory Bodies/Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution:  A.  1. Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or  2. With 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department and  B. Possessing the following educational qualification:  i.Degree of a recognized University or equivalent;  ii. Post Graduate Degree/Post Graduate Diploma in Materials Management of a recognized University/ Institution or equivalent; and  iii. Not less than 5 years' experience in a supervisory capacity in handling stores; preferably medical.  Note:  The period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.  If the Departmental Candidate Stores Officer in Level-10 of Pay Matrix with 05 years' of regular service is selected for appointment to the post: it shall be treated as

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary – Member	
looking after the work of the Institute in the Ministry	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), - Member	
Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary)	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of p	post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2		3	4	5	6
Deputy Financial Adviser	01* (2 *Subject variation dependent workload	2023) to on	Group 'A'	Level 12 of the Pay Matrix  (The original pay scale is Level-13 of Pay Matrix and the pay scale has been downgraded to Level-12 till July 2024)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Deputation	Deputation: Officers from any of the Central/State Government organized Finance / Accounts Services or Subordinate Finance / Accounts Services or Officers in the Finance/ Account Departments of Central Statutory/ Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking  A.  1. Holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre/department; or

2. With 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department out of which at least 3 years' experience in Accounts or  3. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department out of which at least 5 years' experience in Accounts.  Note:  Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The period of deputation will be initially for one year, which is extendable not exceeding five years based on the review of the performance. The maximum age limit for appointment on deputation of (SSTC) shall not be exceeding five years based on the review of the performance. The		 	
grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department out of which at least 5 years' experience in Accounts.  Note:  Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The period of deputation will be initially for one year, which is extendable not exceeding five years based on the review of the performance. The maximum age limit for appointment on deputation			grade rendered after appointment on a regular basis in Level-11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department out of which at least 3 years'
Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The period of deputation will be initially for one year, which is extendable not exceeding five years based on the review of the performance. The maximum age limit for appointment on deputation			grade rendered after appointment on a regular basis in Level 10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department out of which at least 5 years' experience in Accounts.
(151C) shall not be exceeding			Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The period of deputation will be initially for one year, which is extendable not exceeding five years based on the review of the performance. The maximum age limit for

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12		13
1. AS & FA	- Chairman	Not applicable
2. Joint Secretary concerned, MoHFW	- Member	
3. Director, NEIGRIHMS	- Member	

**Note:** These Recruitment Rules of Deputy Financial Adviser are valid till July, 2024 if the pay of the post is restored at Level 13. These Recruitment Rules will continue if post is kept downgraded at Pay Level -12.

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Accounts Officer	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level 10 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
Essential:	Not applicable	2 (two) years	By Promotion failing	<b>Promotion:</b> From
Degree from a recognized University	Not applicable	for direct recruits and promotees	which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment	Assistant Accounts officer of the Institute with 5 Years ' regular service in Level -7 of
2. years' experience in the Accounting works as Assistant Accounts Officer or equivalent in an Office under Central Government / State				Pay Matrix and undergone successful training in cash and accounts work in ISTM or have passed Subordinate Accounts Service examination.
Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/Stat utory bodies /Public Sector undertaking/ University /Recognized Research				Deputation: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/Statutory bodies /Public Sector undertaking/ University /Recognized Research Institution:
Institution on regular basis in Level-8 of Pay Matrix or				A.  1. Holding analogous post on a regular
3. years' experience in the Accounting works as Assistant Accounts Officer or equivalent in an Office under Central Government/ State				basis in the parent cadre/ department; or  2. With 4 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level- 8 of the Pay Matrix or equivalent

Governments/ Union Territories/		in the parent cadre/department or
Autonomous Organizations/Stat utory bodies /Public Sector undertaking/ University /Recognized Research Institution on		3. With 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-7 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department and
regular basis in Level-7 of Pay Matrix		<b>B.</b> Should have passed Subordinate Accounts Service examination.
4. Should have		Note:
passed Subordinate Accounts Service examination.		Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Director / Deputy Secretary looking after - Member	
the work of the Institute in the Ministry	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member	
Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary)	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Accounting Assistant	04* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 4 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 years and 27 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential:	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment	Not applicable
Graduate from a recognized University				

If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member	
Shillong (not below the rank of Under Secretary)	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Administrative Officer	02* (2023) *Subject to variation	Group 'A'	Level – 10 of Pay Matrix	Selection in case of	8 3 1

depend worklo		promotion	upto five accordance	years with	in the
			instructions issued by Government	the Ce	ders ntral

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
i. Graduate from a recognized University ii. With five years regular service in Level 7 of Pay Matrix or equivalent iii. At least five years' experience in establishment and administrative work preferably in a hospital / Medical Institution	No	2 (two) years for direct recruits and promotees	By promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: Assistant Administrative	Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
Officer of the Institute with 5 (five) years regular service in Level – 7 of Pay	2. Director / Deputy Secretary - Member	
Matrix	looking after the work of the Institute	
<b>Deputation:</b> Officers of the Central	in the Ministry	
Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:	<ul> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Deputy Secretary)- Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> </ul>	
<b>A.1.</b> Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or	A co-opted member from SCs/STs -     Member*	
2. with 04 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 08 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department or	6. Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary  (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
3. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 07 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /		

department and	
<b>B.</b> Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.	
Note:	
The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Administrative Officer	05* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 7 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	Not Applicable	Not applicable	By promotion failing which Deputation (ISTC)

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<b>Promotion:</b> Office Superintendent of the Institute with 5 (five) years regular service in Level – 6 of Pay Matrix	Director, NEIGRIHMS - Chairperson     Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member	Not applicable
Deputation: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:  A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent	<ol> <li>Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> <li>An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary</li> </ol>	

cadre/department; or  2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular	(*to NEIG	be RIHM	by	the	Director,	
basis in Level 06 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department with good knowledge of Central Govt. rules related to medical						
Institute / College  Note:  The Period of deputation (ISTC) shall						
ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.						

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Office Superintendent	14* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 6 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants' upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
i. Graduate from a recognized University / Institute  ii. With 10 years' experience as Upper Division Clerk or equivalent under Central Govt/State Govt/Union Territories/ Autonomous Organizations / Statutory Bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institute on regular basis in Level – 4 of the Pay Matrix or equivalent	No	2 (two) years for direct recruits and promotees	By promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

Desirable:	
Having Proficiency	in
computer application	111
4.	

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
<b>Promotion:</b> From UDC of the Institute with 10 years' regular service in Level – 4 of Pay Matrix	Director, NEIGRIHMS - Chairperson     Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member	Not applicable
Deputation: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member	
Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:  A. 1. Holding analogous post on a	<ul> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> </ul>	
regular basis in the parent cadre/department; or	6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS – Member Secretary	
2. with 10 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-4 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
<b>B.</b> Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.		
Note:		
The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Upper Division Clerk (UDC)	21* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 4 of Pay Matrix	Non-Selection in case of promotion	Between 18 years and 27 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
i. Graduate from a recognized University / Institute ii. Having proficiency in computer application iii. A typing speed of 35 words per minute in English on computer (NB: 35 wpm correspond to 10,500 KDPH in an average of 5 key depressions for each word).	No	2 (two) years for direct recruits	By promotion failing which Deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion: From LDC of the Institute with 8 years' regular service in Level – 2 of Pay Matrix  Deputation: Officers of the Central	Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson      Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member	Not applicable
Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/ Public Sector Undertaking/ University/ Recognized Research Institution:	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member  4. An expert in the relevant subject –Member*	
<ul> <li>A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/department; or</li> <li>2. with 8 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-2 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department or</li> </ul>	A Co-opted member from SCs/STs -     Member*  (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
<b>B.</b> Possessing appropriate qualifications and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.		
Note:		
Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization /Department of the		

Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on	
deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.	

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
As stated at Column 10	<ol> <li>Deputy Director (Admin), NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> </ol>	Not applicable
	<ul><li>4. An expert in the relevant subject Member*</li><li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li></ul>	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
CSSD Officer	*Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 07 of Pay Matrix	Selection in case of promotion  Not applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential:  1. M.Sc Microbiology or Pharmacology or Medical Technology (Microbiology)	No	Two years for direct recruit	By promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) failing both by Direct Recruitment
2. 5 years' experience in Central Sterilization (CSSD) or Operation Theatre in a			

hospital/Research		
Organization or any		
Pharmaceutical		
organization		

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Level – 6 of Pay Matrix with 5 (five) years' regular service in the Grade.	<ol> <li>Director, NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> </ol>	Not applicable
Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University/	<ul> <li>3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)-Member</li> <li>4. An expert in the relevant subject - Member*</li> </ul>	
1 Holding analogous post on a regular	<ul><li>5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li><li>6. Deputy Director (Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary</li></ul>	
2. CSSD Supervisor with 05 years' service rendered after appointment on a regular basis in Level 06 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	
Note:		
The Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 05 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.		

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
CSSD Assistant Grade-I	04* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 04 of Pay Matrix	Non-Selection in case of promotion  Not Applicable in case of direct recruitment	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential:  B.Sc Microbiology or Pharmacology or Medical Technology (Microbiology) with 1 year' experience in CSSD of a Hospital or Pharmaceutical or Operation Theatre in a Hospital.	No	Two years for direct recruit	By promotion failing which by Direct Recruitment
OR			
i. Nursing Officer with 1 year' experience in Operation Theatre / CSSD.			
ii. Should be registered with the Indian Nursing Council / State Nursing Council			
OR			
Theatre Assistant Course / CSSD Diploma Course with 2 years' experience in CSSD / Operation Theatre.			
OR			
12 <sup>th</sup> with Science from a recognized University / Board with 3 years' experience in CSSD Operation Theatre and Blood Bank in any hospital			

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Grade-II in Level 2 of the Pay Matrix with eight years'	<ol> <li>Deputy Director (Admn), NEIGRIHMS - Chairperson</li> <li>Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> <li>An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</li> </ol>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
CSSD Assistant Grade-II	*Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level – 02 of Pay Matrix	Not applicable	Between 18 to 27 years (Relaxable for Government Servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential:  Theatre Assistant Course / CSSD Diploma Course with 1 year' experience in CSSD/Operation Theatre.  OR  12 <sup>th</sup> with Science from a recognized University / Board with 1 year' experience in CSSD Operation Theatre and Blood Bank in any hospital	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	•	romotion Committee / Selection sts what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11		12	13
Not applicable	Deputy Director (Ada	nn), NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
	Under Secretary (NE	Section Officer (NE) - Member	
		North Eastern Council (NEC), w the rank of Under Secretary)-	
	An expert in the relev	rant subject - Member*	
	•	from SCs/STs - Member* Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Superintendent Physiotherapist	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of the Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	No	Two years for promotees	By Promotion

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion:	Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
Physiotherapist in Level – 6 of the Pay Matrix with 12 (twelve) years of regular service in the grade.	<ol> <li>Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry –Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member</li> <li>An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>A co-opted member from SCs/STs -Member*</li> <li>Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary</li> </ol>	
	Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Physiotherapist	07* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 06 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential:  Degree in Physiotherapy from a recognised University	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment
OR			
Diploma in Physiotherapy from a recognised University with 3 years' experience in a Hospital			

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	<ol> <li>Director NEIGRIHMS - Chairman</li> <li>Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member</li> <li>Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)- Member</li> <li>An expert in the relevant subject - Member*</li> <li>A Co-opted member from SCs/STs - Member*</li> <li>Deputy Director (Administration) NEIGRIHMS – Member Secretary         (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)</li> </ol>	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Occupational Therapist	01* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of the Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Not applicable	No	Two years for promotees	By Promotion

In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Promotion:	1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
Occupational Therapist in Level – 6 of the Pay Matrix	Director/Deputy Secretary looking after the work of the Institute in the Ministry –Member	
with 10 (ten) years of regular service in the grade.	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
	4. An expert in the relevant subject - Member*	
	5. A co-opted member from SCs/STs -Member*	
	6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Occupational Therapist	02* (2024) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 06 of Pay Matrix	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10
Essential:  Degree in Occupational Therapy from a recognised University  OR  Diploma in Occupational Therapy from a recognised University with 3 years' experience in a Hospital	No	Two years for direct recruit	By Direct Recruitment

In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Not applicable	Director NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
	2. Under Secretary (NE/Section Officer (NE) - Member	
	3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong, (not below the rank of Under Secretary)-Member	
	4. An expert in the relevant subject - Member*	
	5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
	Deputy Director (Administration) NEIGRIHMS –     Member Secretary	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS
[ADVT.-III/4/Exty./123/2024-25]